BY SPEED POST
MNG-01/Admn/RTI-Corres/05-11/734
16 सितंबर, 2025

सेवा में,
विजय कुमार शिवहरे,
शिवहरे एग्रो सेल्स,
सरकारी अस्पताल के सामने,
कोटा, पिन: 325217
राजस्थान
मोबाइल: 8824195304
vijaycag01216@gmail.com

महोदय,

विषय :- आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी के संबंध में।
संदर्भ :- आरटीआई आवेदन पंजीकरण संख्या NIAEM/R/E/25/00027, दिनांक 22/08/2025

***

आपके उपर्युक्त संदर्भित आरटीआई आवेदन के संदर्भ में, मैनेज से संबंधित मांगी गई जानकारी आपकी सूचना हेतु संलग्न अनुलग्नक में दी गई है।

यदि आवेदक सूचना से संतुष्ट नहीं है, तो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) से उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। इस संस्थान के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता इस प्रकार है:-

डॉ. सागर हनुमान सिंह, आईपीओएस
महानिदेशक
राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 (तेलंगाना राज्य)
फोन : 040-24015253 (O), फैक्स : 040-24015388
ईमेल : dgmanage@manage.gov.in

सादर,

शैले-द्र

सहायक लोक सूचना अधिकारी (ए पीआईओ)

अनुलग्नक

क्रम. सं.	मांगी गई जानकारी	उत्तर
1-7	मद संख्या 1 से 7 तक मांगी गई सूचना	मद संख्या 1 से 7 तक का उत्तर नाबार्ड द्वारा पहले ही दिया जा चुका है और अनुलग्नक के रूप में संलग्न है
8.	दिनांक 03/12/2024 के बाद स्वीकृत होने वाली कितनी सब्सिडी भारत सरकार द्वारा जारी की गई है?	महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यंगजन तथा पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए परियोजना लागत या कुल वित्तीय परिव्यय (टीएफओ) का 44% की सब्सिडी और अन्य सभी के लिए कुल परियोजना लागत या टीएफओ का 36% की सब्सिडी। यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार कृषि-क्लिनिक एवं कृषि-व्यवसाय केंद्र (एसी एवं एबीसी) योजना के तहत नाबार्ड को सीधे सब्सिडी देती है। सब्सिडी देने के संबंध में मांगी गई जानकारी मैनेज के पास उपलब्ध नहीं है।
9.	सब्सिडी जारी करने की गाइडलाइन क्या निर्धारित की गई है?	**6.4. सब्सिडी जारी करने की प्रक्रिया** (एसी और एबीसी दिशानिर्देश 2025) **6.4.1** इच्छुक कृषि उद्यमी संबंधित बैंक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर सावधि ऋण और सब्सिडी के लिए परियोजना प्रस्ताव, मैनेज द्वारा विधिवत जाँची गई परियोजना रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के साथ, संबंधित नोडल प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ उसने जन समर्थ पोर्टल https://www.jansamarth.in/home या एआईएफ पोर्टल https://agriinfra.dac.gov.in/Home के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, के माध्यम से मूल्यांकन और ऋण स्वीकृति के लिए बैंक को प्रस्तुत करेगा। साथ ही, इसकी एक प्रति नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय के संबंधित डीडीएम को भी भेजनी होगी। बैंकों को आवेदन पर कार्रवाई करते हुए 30 दिनों की समय-सीमा के भीतर स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय लेना होगा, जिसकी सूचना आवेदक को संबंधित एनटीआई, नाबार्ड के डीडीएम और मैनेज को देनी होगी। **6.4.2.** परियोजना की स्वीकृति और ऋण की पहली किस्त के वितरण के बाद, बैंक निर्धारित प्रारूप में सब्सिडी के लिए एक संक्षिप्त परियोजना प्रोफ़ाइल-सह-दावा प्रपत्र, बैंक के स्वीकृति पत्र की एक प्रति के साथ, नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय (अनुलग्नक XIII, XIV, XV) को ऋण की पहली किस्त के वितरण के 45 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा, जिसकी एक प्रति नाबार्ड के संबंधित डीडीएम, संबंधित एनटीआई और मैनेज को भी भेजी जाएगी। यह समय-सीमा ऋण आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए है और यदि आवेदन अन्य सभी मानदंडों को पूरा करते हैं, तो यह नाबार्ड द्वारा सब्सिडी अस्वीकार करने का कारण नहीं है।

6.4.3 नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, संबंधित डीडीएम को शामिल करते हुए, जांच और सत्यापन के बाद, बैंक से पूर्ण रूप में आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, अनुमोदन/सलाह के लिए दावे/सारांश को नाबार्ड मुख्यालय को अग्रेषित करेगा। सब्सिडी, नाबार्ड मुख्यालय द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी राशि के आधार पर नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय से अनुशंसा प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर, लाभार्थियों को सूचना देते हुए और संबंधित डीडीएम, एनटीआई और मैनेज को एक प्रति भेजते हुए वितरणकर्ता बैंक के पास अग्रिम रूप से जमा की जाएगी (अर्थात्, ऋण स्वीकृत होने के तुरंत बाद वित्तपोषण बैंक/शाखा दवारा नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत सब्सिडी दावे के आधार पर पात्र सब्सिडी राशि एक किस्त में)।

6.4.4. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा अग्रिम सब्सिडी राशि नाबार्ड मुख्यालय में जमा कर दी जाएगी। प्रत्येक वर्ष की पहली तिमाही के दौरान, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सब्सिडी आवंटन की पहली किस्त जारी करेगा, जो पिछले वर्ष की कुल राशि के आधे के बराबर होगी। इसके बाद, जब भी नाबार्ड के पास उपलब्ध राशि 400 लाख रुपये तक पहुँच जाएगी, तब राशि जारी की जाएगी। फंड की उपलब्धता के आधार पर, नाबार्ड, बैंकों/कृषि-उद्यमियों से प्राप्त दावों का निपटान, अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पंद्रह दिन के भीतर करेगा।

6.4.5. योजना के अंतर्गत उधारकर्ताओं के सब्सिडी आरक्षित निधि खाते में सब्सिडी जमा करने के बाद, सहभागी बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक XV) में एक उपयोगिता प्रमाण पत्र नाबार्ड को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि उनके द्वारा प्राप्त सब्सिडी की राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है तथा योजना के समग्र दिशा-निर्देशों के अंतर्गत परियोजना की स्वीकृत शर्तों के अनुसार खाता बहियों में समायोजित कर दिया गया है।

6.4.6. पैरा 6.2.1 और 6.2.2 ***(संदर्भ : 6.2.1)*** के संदर्भ में, *कृषि उद्यमियों द्वारा अपने ग्राहकों को विस्तार सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित अधिकारियों/व्यक्तियों के नीचे रैंक और स्थिति के समूह में से कोई भी दो, कम से कम त्रैमासिक आधार पर आवधिक/औचक निरीक्षण करेंगे और अपनी रिपोर्ट नाबार्ड/वित्तपोषक बैंक/एटीएमए के कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। अनुलग्नक XI में दिए गए प्रारूप के अनुसार कृषि उद्यमियों द्वारा किसानों को प्रदान की गई सलाहकार सेवाओं का रिकॉर्ड रिपोर्ट प्रदान करने का आधार बन सकता है।*

- *एटीएमए के तहत ब्लॉक प्रौद्योगिकी प्रबंधक/विषय विशेषज्ञ*
- *अध्यक्ष (या उनके नामिती), एटीएमए ब्लॉक किसान सलाहकार समिति*
- *पंचायती राज सदस्य*
- *नाबार्ड / बैंक अधिकारी*
- *राज्य कृषि विभाग एवं संबद्ध क्षेत्रों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी।*

		♦ निकटवर्ती ईईआई/केवीके/आईसीएआर संस्थानों के प्रमुख/ एसएयू /सीएयू के विस्तार निदेशक। ***6.2.2.*** *तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि समाप्त होने से पहले एक समेकित रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना है। वित्तपोषक बैंक को यह रिपोर्ट सूचनार्थ नाबार्ड और एटीएमए को भेजनी होगी। रिपोर्ट में कृषि उद्यमी द्वारा शुरू किए गए उद्यम की प्रकृति, उसका दायरा/पहुँच, कृषि उद्यमी की आय पर प्रभाव, किसानों पर प्रभाव और क्षेत्र में कृषि विकास पर प्रकाश डाला जाना चाहिए।* यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवधिक/औचक दौरों के दौरान असंतोषजनक रिपोर्ट दर्ज की जाती है या जहाँ सब्सिडी का दुरुपयोग देखा जाता है, तो वित्तपोषक बैंक भारत सरकार को भेजने के लिए नाबार्ड को सब्सिडी वापस कर देगा। **6.5.** यदि लागू हो, तो नाबार्ड को उनके पास सुरक्षित अग्रिम सब्सिडी की राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा। नाबार्ड को किसी विशेष वर्ष के दौरान वितरित कुल सब्सिडी राशि के 3% के बराबर सेवा शुल्क, अगले वर्ष की पहली तिमाही में सेवा शुल्क के रूप में दिया जाएगा।

Internal

Annexure

RTI Application dated 13.08.2025 (RTI Request No.NABRD/R/E/25/00588) of Shri Vijay Kumar Shivhare under RTI Act 2005

Sr. No.	Information sought	Reply
1	लोन खाता संख्या 40749592394 की सब्सिडी स्वीकृत तिथि क्या है?	राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा उक्त सब्सिडी दिनांक 03-12-2024 को स्वीकृत की गयी थी।
2	स्वीकृत सब्सिडी की कुल राशि कितनी है?	स्वीकृत सब्सिडी की कुल राशि Rs. 7,16,007/- (सात लाख सोलह हजार सात रुपये मात्र) है।
3	क्या नाबार्ड ने यह राशी बैंक को जारी कर दी है?	नहीं।
4	यदि नहीं, तो भुगतान में देरी का कारण क्या है?	सब्सिडी की राशि भारत सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
5	वर्तमान में प्रकरण नाबार्ड के किस अधिकारी या विभाग के पास लंबित है?	यह प्रकरण नाबार्ड के स्तर पर लम्बित नहीं है।
6	अब तक की कार्यवाही का स्टेटस क्या है?	राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा उक्त सब्सिडी दिनांक 03-12-2024 को स्वीकृत कर भारत सरकार के पास उक्त राशि को जारी करने हेतु भेज दी गयी है। भारत सरकार से राशि अभी अप्राप्त है।
7	मेरी सब्सिडी राशि कब तक मेरे लोन खाते में समायोजित कर दी जाएगी?	सबसिडी राशि भारत सरकार से प्राप्त होने पर योजना के गइडलाइन के अनुसार वित्तपोषण बैंक को भेज दी जाएगी।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NATIONAL BANK FOR AGRL. & RURAL DEV. JAIPUR जयपुर